अनुबंध 4.2

- सभी मदों की वृद्धि दरें और निधियों के स्रोतों और उपयोग के संबंध में आँकड़े कंपनियों के समामेलन के कारण परिवर्तनों के लिए समायोजित किये जाते हैं। इन्हें पुनर्मूल्यन, आदि के लिए भी समायोजित किया जाता है, जहाँ आवश्यक हो ।
- आँकड़ों को पूर्णांकित किये जाने के कारण संघटक मद कुल जोड़ से मेल नहीं खाएंगे।
- बिक्रियों के आँकड़े 'छूट और बट्टा' और 'उत्पाद शुल्क' एवं 'उपकर' को घटाकर प्राप्त किये जाते हैं।
- विनिर्माण खर्च में समाविष्ट होते हैं (क) खपत हुआ कच्चा माल, घटक, आदि, (ख) खपत हुए सामान और अतिरिक्त पुर्जे , (ग) बिजली और ईंधन और (घ) अन्य विनिर्माण खर्च ।
- खपत हुआ कच्चा माल, घटक, आदि में व्यापारिक कंपनियों के मामले में व्यापारिक माल की खरीद और सामानों की खपत तथा होटलों, रेस्तराँ एवं भोजनालयों के लिए खाद्य सामग्री की खपत शामिल है ।
- अन्य विनिर्माण खर्च में निर्माण कंपनियों के निर्माण संबंधी खर्च, नौवहन कंपनियों के परिचालन खर्च, आदि जैसे खर्च शामिल होते हैं ।
- कर्मचारियों को पारिश्रमिक में समाविष्ट होते हैं (क) वेतन, मजदूरी और बोनस, (ख) भविष्य निधि और (ग) कर्मचारियों के कल्याण संबंधी खर्च ।
- गैर-परिचालन अधिशेष/घाटा में समाविष्ट होते हैं (क) लाभ/हानि, जो (i) अचल आस्तियों की बिक्री, निवेश, आदि (ii) विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यन/अवमूल्यन के चलते हो, (ख) जिन प्रावधानों की जरूरत न रहे, उनका पुरांकन, (ग) वसूले गये बीमा दावे और (घ) पिछले वर्ष से संबंधित आमदनी और खर्च और ऐसी अन्य मदें, जो अप्रचलित स्वरूप की हों ।
- सकल लाभ मूल्यह्रास प्रावधानों को घटाकर लेकिन ब्याज का भुगतान किये जाने के पहले होते हैं ।
- सकल बचत का मापन प्रतिधारित लाभ और मूल्यह्रास प्रावधान के जोड़ के रूप में किया जाता है ।
- सकल मूल्यवर्धित में समाविष्ट होते हैं (क) निवल मूल्य वर्धित और (ख) मूल्यह्रास प्रावधान ।
- निवल मूल्यवर्धित में समाविष्ट होते हैं (क) वेतन, मजदूरी और बोनस, (ख) भविष्य निधि, (ग) कर्मचारियों के कल्याण संबंधी खर्च, (घ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक, (ङ) प्राप्त किराये को घटाकर अदा किया गया किराया, (च) प्राप्त ब्याज को घटाकर अदा किया गया ब्याज, (छ) कर प्रावधान, (ज) प्राप्त लाभांश को घटाकर अदा किया गया लाभांश और (झ) गैर परिचालन अधिशेष/घाटे को घटाकर प्रतिधारित लाभ।
- कर्ज में समाविष्ट होते हैं (क) सरकारी और गैर सरकारी निकायों, बैंकों से भिन्न वित्तीय संस्थाओं और विदेशी संस्थागत एजेंसियों से लिये गये सभी उधार, (ख) बंधक और अन्य दीर्घावधि प्रतिभूतियों पर बैंकों से लिये गये उधार, (ग) बंधक और अन्य दीर्घावधि प्रतिभूतियों पर कंपनियों और अन्य से लिये गये उधार, और (घ) डिबेंचर, आस्थगित भुगतान संबंधी देयताएँ और जनता से जमाराशियाँ ।
- इक्विटी या निवल संपत्ति में समाविष्ट होते हैं (क) चुकता पूँजी, (ख) जब्त शेयर और (ग) सभी प्रकार की आरक्षित निधियाँ और अधिशेष ।
- चालू आस्तियों में समाविष्ट होते हैं (क) वस्तु-सूची, (ख) ऋण एवं अग्रिम और अन्य देनदार शेष, (ग) उद्धृत निवेशों का बही मूल्य, (घ) नकदी और बैंक जमाशेष और (ङ) कर प्रावधान से अधिक आयकर का अग्रिम ।
- चालू देयताओं में समाविष्ट होते हैं (क) बैंकों से लिये गये अल्पावधि उधार, (ख) कंपनियों और अन्य से बेजमानती ऋण और अन्य अल्पावधि उधार, (ग) व्यापारिक बकाये और अन्य चालू देयताएँ और (घ) आयकर के अग्रिम से अधिक कर प्रावधान तथा अन्य चालू प्रावधान।
- त्वरित सुलभ आस्तियों में समाविष्ट होते हैं (क) फुटकर देनदार, (ख) उद्धृत निवेशों का बही मूल्य, और (ग) नकदी और बैंक जमाशेष ।
- पूँजीगत आरक्षित निधियों में शामिल हैं - निवेशों और अचल आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ ।
- अन्य आरक्षित निधियों में शामिल हैं - विविध विनिर्दिष्ट आरक्षित निधियों के रूप में प्रतिधारित लाभ और तुलनपत्र में ले जाया गया लाभ/हानि ।
- डिबेंचरों में शामिल हैं - वित्तीय संस्थाओं को निजी तौर पर डिबेंचरों की संस्थागत बिक्री ।